



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937

No. 416]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASADHA 9, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2015

सा.का.नि. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 42 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्ररूप) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्ररूप" से उपाबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "अनुसूची" से प्ररूप से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (घ) पदों और शब्दों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. लेखों और अन्य संबंधित अभिलेखों की वार्षिक विवरणी—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की किसी अवधि के अवसान पर, उक्त अवधि के संदर्भ तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियां और संदाय में नीचे के विनिर्दिष्ट प्ररूपों में तैयार करेगा, अर्थात् :—

- (क) प्ररूप "क" में तुलन-पत्र ;
- (ख) प्ररूप "ख" में आय और व्यय का लेखा ;

(ग) प्ररूप "ग" में प्राप्ति और संदाय का लेखा ।

4. **लेखा आदि का अनुरक्षण**—प्राधिकरण नियम 3 में निर्दिष्ट तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और संदाय लेखा वित्तीय वर्ष, जिससे वह संबंधित है, के पश्चातवर्ती पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा ।

5. **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**—तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और संदाय लेखा और उनसे उपाबद्ध अनुसूचियां प्राधिकरण के मुख्य लेखा अधिकारी, अध्यक्ष और दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होंगी ।

फार्म ए

[नियम 3 (क) देखें]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

दिनांक 31.03.201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(यूनिट-भारतीय रुपये)

देयता	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष	आस्ति	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आधारभूत/ पूजीगत निधि	1			1. अचल आस्ति कुल ब्लॉक घटाएं : मूल्यह्रास निवल ब्लॉक	8		
2. आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	2			2. निर्धारित से निवेश/ अक्षय निधि	9		
3. निर्धारित की गई/ अक्षय निधि	3			3. अन्य निवेश	10		
4. जमानती ऋण एवं उधार	4			4. वर्तमान आस्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11		
5. गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5			5. विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो या समायोजित नहीं किया गया हो।			
6. आस्थगित ऋण देयता	6						
7. वर्तमान देयता एवं प्रावधान	7						
जोड़				जोड़			
महत्वपूर्ण लेखा नीति	24						
आकस्मिक देयता एवं लेखा पर नोट	25						

नोट :- तुलनपत्र की सभी अनुसूचियां खाते का भाग होंगी।

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

फार्म बी

[नियम 3 (ख) देखें]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 201 के वर्षांत के लिए आय एवं व्यय खाता _____

(यूनिट-भारतीय रुपये)

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष	आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. स्थापना व्यय	20			1. बिक्री/सेवाओं से आय	12		
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21			2. अनुदान/सब्सिडीस	13		
3. अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22			3. शुल्क/अभिदान	14		
4. ब्याज	23			4. निवेशों से आय (निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15		
5. मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुसार वर्षांत में निवल जोड़)				5. रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
				6. अर्जित ब्याज	17		
				7. अन्य आय	18		
				8. तैयार सामग्रियों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगतिरत कार्य	19		
जोड़				जोड़			
व्यय की तुलना में अधिक आय होने के कारण शेष राशि							
विशेष आरक्षण में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें) (प्रत्येक को स्पष्ट करें)							
सामान्य आरक्षण में से अंतरण							
अधिशेष/(घाटा) कोरपस/पूँजी निधि में ले जाने के कारण शेष राशि							
महत्वपूर्ण लेखा नीति	24						
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर नोट	25						

नोट :- तुलनपत्र की सभी अनुसूचियां खाते का भाग होंगी।

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

फार्म ग

[नियम 3(ग) देखें]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 201 के वर्षांत के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता _____

(यूनिट-भारतीय रुपये)

प्राप्तियां	चाल वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चाल वर्ष	गत वर्ष
<p>1. प्रारंभिक शेष</p> <p>(क) नकदी</p> <p>(ख) बैंक में शेष</p> <p>(i) चालू खातों में</p> <p>(ii) सावधि जमा खातों में</p> <p>(iii) बैंक बचत जमा खातों में</p> <p>2. प्राप्त अनुदान</p> <p>(i) भारत सरकार से</p> <p>(क) अनुदान-सहायता वेतन</p> <p>(ख) अनुदान-सहायता-सामान्य</p> <p>(ग) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान</p> <p>(घ) अनुदान-अंशदान-सहायता-स्वावलंबन</p> <p>(ङ) अन्य</p> <p>(ii) राज्य सरकार से</p> <p>(क) अनुदान-सहायता वेतन</p> <p>(ख) अनुदान-सहायता-सामान्य</p> <p>(ग) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन अंशदान</p> <p>(घ) अनुदान-सहायता-स्वावलंबन प्रचार एवं</p> <p>(ङ) अन्य</p> <p>(iii) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजी एवं</p> <p>3. निवेश पर आय</p> <p>(क) निर्धारित/अक्षय निधियां</p> <p>(ख) स्वाधिकृत निधियां (अन्य निवेश)</p> <p>4. प्राप्त ब्याज</p> <p>(क) बैंक जमाओं पर,</p> <p>(ग) अन्य</p> <p>5. अन्य आय (उल्लेख करें)</p> <p>(क) विविध सेवाओं के लिए शुल्क</p> <p>(ख) विविध आय</p> <p>6. उधार ली गई राशि</p> <p>7. कोई अन्य प्राप्ति</p> <p>(क) प्रतिभूति/बयाना जमा राशि</p> <p>(ख) अग्रिम का प्रतिदान</p> <p>(ग) अन्य</p> <p>जोड़</p>			<p>1. व्यय</p> <p>(क) स्थापना व्यय (अनुसूची)</p> <p>(ख) प्रशासनिक</p> <p>2. प्रयोज्य अनुदान</p> <p>(क) स्वावलंबन अंशदान</p> <p>(ख) स्वावलंबन प्रचार</p> <p>(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के लिए अनुदान</p> <p>(घ) अन्य</p> <p>3. किये गये निवेश एवं जमा</p> <p>(क) निर्धारित/अक्षय निधि में से</p> <p>(ख) स्वाधिकृत निधियों में से (निवेश-अन्य)</p> <p>4. अचल आस्तियों एवं पूंजी प्रगतिरत कार्य पर</p> <p>(क) अचल आस्तियों की खरीद</p> <p>(ख) पूंजी प्रगतिरत कार्य पर व्यय</p> <p>5. अतिशेष राशि/ऋणों का प्रतिदान</p> <p>(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से वसूली योग्य</p> <p>(ख) राज्य सरकार को</p> <p>(ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को</p> <p>6. वित्तीय प्रभार (ब्याज)</p> <p>(क) बैंक प्रभार</p> <p>(ख) अन्य</p> <p>7. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)</p> <p>(क) पूर्वदत्त</p> <p>(ख) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम</p> <p>(ग) प्रतिभूति जमा</p> <p>8. अंतिम शेष</p> <p>(क) नकदी</p> <p>(ख) बैंक में शेष</p> <p>(i) चालू खातों में</p> <p>(ii) सावधि जमा खातों में</p> <p>(iii) बैंक बचत जमा खातों में</p> <p>जोड़</p>		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 1**

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
कोरपस / पूंजीगत निधियां

(यूनिट-रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष राशि		
जोड़ : अप्रयोज्य कोरपस निधि का प्रारंभिक शेष		
घटाना : अप्रयोज्य कोरपस निधि का अंतिम शेष		
जमा/घटाना : आय एवं व्यय से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष		
जमा : सरकार का अनुदान जिसे सरकार से प्राप्त किया जाना है/आय एवं व्यय खाते से अंतरित किया जाना है।		
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष राशि		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 2**

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
आरक्षित एवं अधिशेष

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. <u>आरक्षित पूंजी</u>		
(क) इस वर्ष के प्रारंभ में		
(ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया		
(ग) घटाना : इस वर्ष के दौरान कटौती		
2. <u>आरक्षित निधियों का पुनर्मूल्यन</u>		
(क) इस वर्ष के प्रारंभ में		
(ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया		
(ग) घटाना : इस वर्ष के दौरान कटौती		
3. <u>विशेष आरक्षित निधि</u>		
(क) इस वर्ष के प्रारंभ में		
(ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया		
(ग) घटाना : इस वर्ष के दौरान कटौती		

4. सामान्य आरक्षित निधि (क) इस वर्ष के प्रारंभ में (ख) इस वर्ष के दौरान शामिल किया गया (ग) घटना : इस वर्ष के दौरान कटौती		
---	--	--

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 3

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
निर्धारित/अक्षय निधियां

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	निधि-वार ब्यौरा		चालू वर्ष	गत वर्ष
	निधि XX	निधि YY		
1. निधियों का प्रारंभिक शेष 2. निधियों में परिवर्धन (क) दान/अनुदान (ख) निधियों के खातों में किए गए निवेश पर आय (ग) अन्य योग (प्रकृति स्पष्ट करें)				
जोड़ (1+2)				
3. निधियों के उद्देश्य की ओर उपयोग/व्यय (क) पूंजीगत व्यय (i) अचल आस्तियां (ii) अन्य योग				
(ख) राजस्व व्यय (i) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता आदि (ii) किराया (iii) अन्य प्रशासनिक व्यय योग				
योग (3)				
वर्ष के अंत में निवल शेष (1+2-3)				

नोट:-(1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार प्रासंगिक शीर्षकों के तहत प्रकटीकरण किया जाएगा।
 (2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त प्लान निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधियों के साथ न मिला जाए।

स्थान:

दिनांक :

मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
 अनुसूची 4**

31 मार्च, 201

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

जमानती ऋण एवं उधार

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. वित्तीय संस्थाएं		
(क) मियादी ऋण		
(ख) उपचित ब्याज एवं देय		
4. बैंक		
(क) मियादी ऋण		
- उपचित ब्याज एवं देय		
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		
- उपचित ब्याज एवं देय		
5. अन्य संस्थाएं		
6. डिबेंचर एवं बांड		
7. अन्य		
योग		
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

स्थान:

दिनांक :

मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 5

31 मार्च, 201 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

अनारक्षित ऋण एवं उधार

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केंद्र सरकार 2. राज्य सरकार 3. वित्तीय संस्थाएं 4. बैंक (क) मियादी ऋण (ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें) 5. अन्य संस्थाएं 6. डिबेंचर एवं बांड 7. सावधि जमा 8. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 6

31 मार्च, 201

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

आस्थगित ऋण देयता

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. पूंजी उपकरण एवं अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्राप्त स्वीकृतियां		
2. अन्य		
योग		
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 7

31 मार्च, 201

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध लेनदार		
3. प्राप्त अग्रिम		
4. उपचित किंतुको अदेय ब्याज:		
(क) जमानती ऋण/उधार		
(ख) गैर-जमानती ऋण/उधार		
5. सांविधिक देयता:		
(क) अतिदेय		
(ख) अन्य		
6. अन्य वर्तमान देयता		
(क) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अप्रयोज्य अनुदान जो भा.स. को देय है।		
(ख) अन्य		
योग		

उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर एवं फिक्स्चर										
6. कार्यालयी उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफेरल										
8. विद्युतीकरण										
9. पुस्तकालयी किताबें										
10. अन्य अचल आस्ति										
चालू वर्ष का योग										
पूर्व वर्ष										
प्रगतिरत कार्य पूंजी										
योग										
उपर्युक्त में शामिल किराया, खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दिया जाना है।										

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**अनुसूची 9****31 मार्च, 201****की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश**

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिवेंचर एवं बांड		
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (जिसे स्पष्ट किया जाना है)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 10

31 मार्च, 201

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

निवेश - अन्य

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बांड		
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (जिसे स्पष्ट किया जाना है)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 11

31 मार्च, 201

की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क). वर्तमान आस्तियां		
1. सूचियां :		
(क) स्टोर एवं स्पेयर्स		
(ख) खुले उपकरण		
(ग) व्यापार में स्टॉक		
तैयार सामग्री		
प्रगतिरत - कार्य		
कच्चा माल		
2. विविध लेनदार:		
(क) छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
(ख) अन्य		
3. तकदी		
4. बैंकों में शेष राशि:		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ :		

<p>(i) चालू खातों में</p> <p>(ii) मियादी जमा खातों में</p> <p>(iii) बचत बैंक जमा खातों में</p> <p>(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:</p> <p>(i) चालू खातों में</p> <p>(ii) मियादी जमा खातों में</p> <p>(iii) बचत बैंक जमा खातों में</p> <p>5. डाकघर-बचत खाते</p> <p>6. अन्य</p>		
योग (क)		
<p>(ख). ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां</p> <p>1. ऋण:</p> <p>(क) कर्मचारी</p> <p>(ख) अन्य संस्थाएं जो संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगे हुए हैं</p> <p>(ग) अन्य (स्पष्ट करें)</p> <p>2. नकदी में या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि:</p> <p>(क) पूंजी खाते में</p> <p>(ख) पूर्व-भुगतान</p> <p>(ग) प्रतिभूति जमा</p> <p>(घ) अन्य</p>		
<p>3. उपचित आय:</p> <p>(क) निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश</p> <p>(ख) निवेश अन्य</p> <p>(ग) ऋण एवं अग्रिम</p> <p>(घ) अन्य (अप्राप्य देय आय रुपये _____ शामिल है)</p> <p>4. प्राप्य दावे</p>		
योग (ख)		
कुल योग (क) + (ख)		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 12**

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
बिक्री/सेवाओं से आय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1) बिक्री से आय		
(क) तैयार मालों की बिक्री		
(ख) कच्चे माल की बिक्री		
(ग) अवशिष्ट (स्कैप) की बिक्री		
(2) सेवाओं से आय		
(क) श्रम एवं प्रसंस्करण शुल्क		
(ख) पेशेवर/परामर्शी सेवाएं		
(ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		
(ङ) अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य

अध्यक्ष

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 13**

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
अनुदान/सब्सिडी

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान एवं सब्सिडी		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याण निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

सदस्य

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
शुल्क/अभिदान

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान		
3. संगोष्ठी /कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्शी शुल्क		
5. लाइसेंस शुल्क		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
निवेशों से आय
निधियों की अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश-अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
(ख) बांडों/डिबेंचरों पर				
(ग) अन्य				
2. लाभांश				
(क) शेयरों पर				
(ख) म्युचुअल फंड पर				
(ग) अन्य				
3. किराया				
4. अन्य (स्पष्ट करें)				
योग				
निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित				

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रोयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

दिनांक 31.03, 201 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
अर्जित ब्याज

(यूनिट भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. मियादी जमा खातों पर (क) अनुसूचित बैंकों से (ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से (ग) संस्थाओं से (घ) अन्य		
2. बचत बैंक जमा खातों पर: (क) अनुसूचित बैंकों से (ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से (ग) डाकघर बचत खाते (घ) अन्य		
3. ऋणों पर: (क) कर्मचारी / स्टाफ (ख) अन्य		
4. ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज		
योग		
स्रोत पर कर - कटौती को सूचित किया जाता है।		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 18

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

अन्य आय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आस्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ (क) स्वाधिकृत आस्तियां (ख) अनुदानों से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त आस्तियां		
2. प्राप्य निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं हेतु शुल्क		
4. विविध आय		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 19

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगतिरत कार्यों में वृद्धि/(कमी)

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) अंतिम स्टॉक - तैयार सामग्रियां - प्रगतिरत कार्य		
(ख) घटाव : प्रारंभिक शेष - तैयार सामग्रियां - प्रगतिरत कार्य		
निवल वृद्धि/(कमी) [(क)-(ख)]		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 20

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
स्थापना व्यय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. वेतन एवं मजदूरी		
2. भत्ते एवं बोनस		
3. भविष्य निधि हेतु अंशदान		
4. अन्य निधि हेतु अंशदान (स्पष्ट करें)		
5. कर्मचारी कल्याण व्यय		
6. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवा निवृत्ति लाभ पर व्यय		
7. छुट्टी वेतन		
8. शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		
9. मेडिकल प्रतिपूर्ति		
10. उपदान अंशदान		
11. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 21

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
अन्य प्रशासनिक व्यय

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. खरीद		
2. श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय		
3. आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन		
4. विद्युत एवं शक्ति		
5. जल प्रभार		
6. बीमा		
7. मरम्मत एवं रखरखाव		

8. उत्पाद शुल्क		
9. किराया, दर एवं कर		
10. वाहन चालन एवं रखरखाव		
11. डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
12. मुद्रण और स्टेशनरी		
13. यात्रा एवं वाहन व्यय		
14. संगोष्ठी/वर्कशाप/बैठकें एवं सम्मेलनों पर व्यय		
15. अभिदान व्यय		
16. शुल्कों पर व्यय		
17. लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक		
18. आतिथ्य व्यय		
19. पेशेवर प्रभार		
20. पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		
21. भर्ती व्यय		
22. खराब एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
23. संग्राहक को प्रोत्साहन		
24. स्वावलंबन सरकारी अंशदान		
25. स्वावलंबन प्रचार		
26. उपस्थिति स्थल हेतु प्रोत्साहन		
27. बट्टेखाते डाले गए अशोध्य शेष		
28. पैकिंग प्रभार		
29. मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार		
30. वितरण व्यय		
31. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय		
32. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 22**

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

अनुदान सन्निधि आदि पर व्यय

(यूनिट- भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को दिए गए अनुदान		
2. संस्थाओं/ संगठनों को दी गई सन्निधि		
3. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 23

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया
ब्याज

(यूनिट-भारतीय रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. नियत ऋणों पर		
2. अन्य ऋणों पर		
3. बैंक प्रभार		
4. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग		

स्थान:

दिनांक :

सदस्य

सदस्य

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 24

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार खातों में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 25

दिनांक 31.03.201— को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार खातों में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

आकस्मिक देयता एवं लेखाओं पर टिप्पणी

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[फा. सं. 11/8/2014-पीआर]

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 51, read with sub-section (1) of Section 42 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) “Act” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
 - (b) “Form” means a form appended to these rules;
 - (c) “Schedule” means a Schedule appended to the Form;
 - (d) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Annual statement of accounts and other relevant records.**—At the expiration of a period of twelve months ending with the 31st March of every year, the Authority shall prepare with reference to that period, a balance-sheet, an income and expenditure account and receipt and payment account in the Forms as specified below, namely:-
 - (a) the Balance-Sheet in Form “A”;
 - (b) the Income and Expenditure Account in Form “B”;
 - (c) the Receipt and Payment Account in Form “C”.
4. **Maintenance of accounts, etc.**—The Authority shall preserve the Balance-Sheet, the Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Account referred to in rule 3, for a minimum period of five years following the financial year to which they relate.
5. **Authorised Signatory.**—The Balance-Sheet, Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account and the Schedules appended thereto shall be signed by the Chief Account Officer of the Authority, Chairperson and two members of the Authority.

FORM A

[See rule 3 (a)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

BALANCE SHEET AS AT 31.03.201_____

(Unit—INDIAN RUPEE)

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year	Assets	Schedule	Current year	Previous year
1. Corpus / Capital fund	1			1. Fixed assets	8		
				Gross Block			
				Less : Depreciation			
				Net Block			
2. Reserves and surplus	2			2. Investments from	9		
				Earmarked /			
				Endowment Fund			
3. Earmarked/ Endowment funds	3			3. Investments-Others	10		
4. Secured loans and borrowings	4			4. Current assets, Loans, Advances etc.	11		
5. Unsecured loans and borrowings	5			5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)			
6. Deferred credit liabilities	6						
7. Current liabilities and provisions	7						

Total				Total			
Significant Accounting Policy	24						
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Note :- All Schedules to Balance Sheet **shall** form part of Account.

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

FORM B

[See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

THE INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED AT 31ST MARCH, 201_____

(Unit INDIAN RUPEE)

Expenditure	<i>Schedule</i>	Current year	Previous year	Income	<i>Schedule</i>	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20			1. Income from Sales/Services	12		
2. Other Administrative expenses etc.	21			2. Grants/Subsidies	13		
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22			3. Fee/Subscription	14		
4. Interest	23			4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment Funds transferred to Funds)	15		
5. Depreciation (Net Total at the year end – corresponding to Schedule 8)				5. Income from Royalty, Publications etc.	16		
				6. Interest Earned	17		
				7. Other Income	18		
				8. Increase/(decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progress	19		
Total				Total			
Balance being excess of Income over Expenditure							
Transfer to Special Reserve (specify each)							
Transfer to/from General Reserve							
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND							
Significant Accounting Policy	24						
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Notes :- All Schedules to Income and Expenditure Account shall form part of account.

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

FORM C
[See rule 3(c)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 201_____
(Unit – INDIAN RUPEE)

Receipts	Current year	Previous year	Payment	Current year	Previous year
<u>1. Opening Balances</u>			<u>1. Expenses</u>		
(a) Cash in hand			(a) Establishment Expenses (Schedule)		
(b) Bank Balances			(b) Administrative		
(i) In Current accounts			<u>2. Grants Utilised</u>		
(ii) In Time Deposit accounts			(a) Swavalamban Contribution		
(iii) In Saving Bank deposit accounts			(b) Swavalamban Promotion		
<u>2. Grants Received</u>			(c) Grant to National Pension system Trust		
(i) From Government of India			(d) Others		
(a) Grant-in-aid Salaries			<u>3. Investments and deposits made</u>		
(b) Grant-in-aid-General			(a) Out of Earmarked/Endowment funds		
(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution			(b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional and Development activities			<u>4. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress</u>		
(e) Others			(a) Purchase of Fixed Assets		
(ii) From State Government			(b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
(a) Grant-in-aid Salaries			<u>5. Refund of surplus money/Loans</u>		
(b) Grant-in-aid-General			(a) Recoverable from National pension system trust		
(c) Grant-in-aid-Swavalamban Contribution			(b) To the State Government		
(d) Grant-in-aid-Swavalamban Promotional and Development activities			(c) To other providers of funds		
(e) Others			<u>6. Finance Charges (Interest)</u>		
(iii) From Other Sources (details) (Grants for Capital and revenue expenditure to be shown separately)			(a) Bank charges		
<u>3. Income on Investments</u>			(b) Others		
(a) Earmarked/Endowment Funds			(a) Prepaid		
(b) Own Funds (other investment)			(b) Loan/ Advance to employees		
<u>4. Interest Received</u>			(c) Security Deposits		
(a) On Bank deposits			<u>8. Closing Balances</u>		
(b) Loans, Advances etc.			(a) Cash in hand		
(c) Others			(b) Bank Balances		
<u>5. Other Income (Specify)</u>			(i) In Current accounts		
(a) Fees for Miscellaneous services			(ii) In Time Deposit accounts		
(b) Miscellaneous Income			(iii) In Saving Bank Deposit		
<u>6. Amount Borrowed</u>					
<u>7. Any Other receipts</u>					
(a) Security/Earnest Money Deposit					
(b) Refund of Advance					
(c) Others					
Total			Total		

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 1**

ATTACHED TO AN

D FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 201_____

CORPUS/CAPITAL FUND

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
Balance as at the beginning of the year		
Add : Opening Balance of unutilized corpus fund		
Less : Closing Balance of unutilised corpus fund		
Add/Deduct : Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure		
Add : Government Grant to be received from Government/transferred from the Income and Expenditure Account Balance as at the year end		

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 2**ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST
MARCH, 201__**RESERVES AND SURPLUS**

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. <u>Capital Reserve</u>		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less : Deductions during the year		
2. <u>Revaluation Reserve</u>		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less : Deductions during the year		
3. <u>Special Reserve</u>		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less : Deductions during the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less : Deductions during the year		
4. <u>General Reserve</u>		
(a) At the beginning of the year		
(b) Addition during the year		
(c) Less : Deductions during the year		
Total		

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 3**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Fund wise break up		Current year	Previous year
	Fund XX	Fund YY		
1. Opening balance of the funds				
2. Additions to the funds				
(a) Donations/grants				
(b) Income on Investments made on account of funds				
(c) Other Additions (specify nature)				
Total (1+2)				
3. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
(a) Capital Expenditure				
(i) Fixed assets				
(ii) Others				
Total				
(b) Revenue Expenditure				
(i) Salaries, Wages and allowances, etc.				
(ii) Rent				
(iii) Other Administrative expenses				
Total				
Total (3)				
Net balance at the year end (1+2-3)				
Notes:- (1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.				
(2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.				

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 4**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit - INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
(a) Term Loans		
(b) Interest accrued and due		
4. Banks		
(a) Term Loans		
-Interest accrued and due		
(b) Other Loans (specify)		
-Interest accrued and due		
5. Other Institutions		
6. Debentures and Bonds		
7. Others		
Total		
Note : Amount due within one year		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 5**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
4. Banks		
(a) Term Loans		
(b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions		
6. Debentures and Bonds		

7. Fixed deposits		
8. Others (specify)		
Total		
Note : Amount due within one year		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 6**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets		
2. Others		
Total		
Note : Amount due within one year		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 7**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit - INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
<u>CURRENT LIABILITIES</u>		
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors		
3. Advances Received		

4. Interest Accrued but not Due on :		
(a) Secured Loans / Borrowings		
(b) Unsecured Loans / Borrowings		
5. Statutory Liabilities :		
(a) Overdue		
(b) Others		
6. Other Current Liabilities		
(a) Unutilised grant as at 31st March payable to GOI		
(c) Others		
TOTAL		
<u>PROVISIONS</u>		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Trade Warranties/Claims		
4. Accumulated Leave encashment		
5. Pension Contribution Payable		
7. Leave salary payable		
8. Others (specify)		
TOTAL		
GRAND TOTAL		

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 8

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

FIXED ASSETS

(Unit – INDIAN RUPEE)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation as at the year-end	As at beginning of the year	For the year	On Deductions during the year	Total upto year end	As at the Current year	As at the previous year
FIXED ASSETS										
1. Land :										
(a) Freehold										
(b) Leasehold										
2. Buildings :										
(a) On Freehold Land										
(b) On Leasehold Land										
(c) Ownership Flats/ Premises										
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
3. Plant Machinery and Equipment										
4. Vehicle										
5. Furniture and Fixtures										
6. Office equipments										
7. Computer/ Peripherals										
8. Electrical Installations										
9. Library Books										
10. Other Fixed Assets										
TOTAL OF CURRENT YEAR										
PREVIOUS YEAR										
Capital Work-in-progress										
Total										
Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.										

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 9**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities		
2. Other approved securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint ventures		
6. Others (to be specified)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 10**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

INVESTMENTS-OTHERS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities		
2. Other approved securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint ventures		
6. Others (to be specified)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 11**

ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS AT 31.03.201_____

CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
<u>(A). CURRENT ASSETS</u>		
1. Inventories :		
(a) Stores and Spares		
(b) Loose Tools		
(c) Stock-in-Trade		
Finished Goods		
Work-in-Progress		
Raw Materials		
2. Sundry Debtors :		
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
(b) Others		
3. Cash in hand		
4. Bank Balances :		
(a) with Scheduled Banks :		
(iv) On Current Accounts		
(v) On Time Deposit Accounts		
(vi) On Savings Bank Deposit Accounts		
(b) with Non-Scheduled Banks :		
(iv) On Current Accounts		
(v) On Time Deposit Accounts		
(vi) On Savings Bank Deposit Accounts		
5. Post Office-Savings Accounts		
6. Others		
TOTAL (A)		
<u>(B). LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:</u>		
1. Loans:		
(a) Staff		
(b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		
(c) Others (specify)		
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
(a) On Capital Account		
(b) Prepayments		
(c) Security Deposits		
(d) Others		
3. Income Accrued :		
(a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
(b) On Investments – Others		
(c) On Loans and Advances		
(d) Others (includes income due unrealized ₹_____)		
4. Claims Receivable		
Total (B)		
Grand Total (A) + (B)		

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 12**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

INCOME FROM SALES/SERVICES

(Unit– INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
(1) <u>Income from Sales</u>		
(a) Sale of Finished goods		
(b) Sale of Raw Material		
(c) Sale of Scraps		
(2) <u>Income from Services</u>		
(a) Labour and Processing Charges		
(b) Professional/Consultancy Services		
(c) Agency Commission and Brokerage		
(d) Maintenance Services (Equipment/Property)		
(e) Others (Specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 13**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

GRANT / SUBSIDIES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
<u>Irrevocable Grants and Subsidies Received</u>		
1. Central Government		
2. State Government		
3. Government agencies		
4. Institution / Welfare bodies		
5. International Organisations		
6. Others (specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 14**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

FEEES / SUBSCRIPTIONS

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
6. Entrance Fees		
7. Annual Fees /Subscriptions		
8. Seminar /Program Fee		
9. Consultancy Fees		
10. Licence fees		
7. Others (specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 15**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investments from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest				
(a) On Govt. securities				
(b) Other Bonds/Debentures				
(c) Others				
2. Dividend				
(a) On Shares				
(b) On Mutual Funds				
(c) Others				
3. Rents				
4. Others (specify)				
Total				
Transferred to Earmarked/Endowment Funds				

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 16**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1 Income from Royalty		
2 Income from Publications		
3. Others (specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 17**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**
INTEREST EARNED

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Term Deposits Accounts		
(a) with Scheduled Bank		
(b) with Non Scheduled Bank		
(c) with Institutions		
(d) Others		
2. On Savings Bank Deposit Accounts:		
(a) with Scheduled Bank		
(b) with Non Scheduled Bank		
(c) Post Office Savings Accounts		
(d) Others		
3. On Loans:		
(a) Employees / Staff		
(b) Others		
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
Total		
Tax deducted at source to be indicated		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 18****ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____****OTHER INCOME**

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Profit on Sale/Disposal of Assets (a) Owned Assets (b) Assets acquired out of grants or received free of cost		
2. Export Incentives Realized		
3. Fees for Miscellaneous Services		
4. Miscellaneous Income		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 19****ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING AT 31.03.201_____****INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS**

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
(a) Closing Stock - Finished Goods - Work-in-progress		
(b) Less : Opening Stock - Finished Goods - Work-in-progress		
Net Increase/(Decrease) [(a)-(b)]		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 20**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Salaries and Wages		
2. Allowances and Bonus		
3. Contribution to Provident Fund		
4. Contribution to Other Fund (specify)		
5. Staff Welfare expenses		
6. Expenses on Employee's Retirement and Terminal Benefits		
7. Leave Salary		
8. Tution fees reimbursement		
9. Medical Reimbursement		
10. Gratuity Contribution		
11. Others (Specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 21**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Purchases		
2. Labour and processing expenses		
3. Cartage and Carriage inwards		
4. Electricity and Power		
5. Water charges		
6. Insurance		

7. Repair and Maintenance		
8. Excise Duty		
9. Rent, Rates and Taxes		
10. Vehicles Running and Maintenance		
11. Postage, Telephone and Communication Charges		
12. Printing and Stationary		
13. Traveling and Conveyance expenses		
14. Expenses on Seminar/Workshops/Meetings and conferences		
15. Subscription expenses		
16. Expenses on Fees		
17. Auditors Remuneration		
18. Hospitality expenses		
19. Professional Charges		
20. Books and Periodicals		
21. Recruitment expenses		
22. Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		
23. Incentive to Aggregator		
24. Swavalamban Government Contribution		
25. Swavalamban promotion		
26. Incentive to Point of presence		
27. Irrecoverable balances Written off		
28. Packing charges		
29. Freight and Forwarding expenses		
30. Distribution expenses		
31. Advertisement and Publicity expenses		
32. Others (Specify)		
Total		

Place:

Date :

Member

Member

Chief Accounts Officer

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 22**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. Grants given to Institutions / Organisations / National Pension System Trust		
2. Subsidies given to Institutions / Organisations		
3. Others (Specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 23**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE
YEAR ENDING AT 31.03.201_____**

INTEREST

(Unit – INDIAN RUPEE)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Fixed Loans		
2. On Other Loans		
3. Bank charges		
4. Others (Specify)		
Total		

Place:

Date :

Chief Accounts Officer

Member

Member

Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**SCHEDULE 24**

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING AT
31.03.201_____**

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 25

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING AT
31.03.201_____**

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[F. No. 11/8/2014-PR]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Advisor